© 2017 IJSRST | Volume 3 | Issue 1 | Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X
Themed Section: Scienceand Technology

महिला कल्याण सम्बंधी योजनाएं, समीक्षात्मक मूल्यांकन

सीमादेवी,
शोधच्छात्रा, काशी नरेश राजकीय पी.जी. कॉलेज,
ज्ञानपुर, संन्त रविदास नगर भदोही।

अभी–अभी की बात है कि सारे विश्व में महिलाएं अपने अधिकारों और अपनी सुख सुविधाओं के लिए आन्दोलन और संघर्ष कर रही है। नारी मुक्ति आन्दोलन समाज में अपना उचित स्थान पाने के लिए महिलाएं कर रही है। संयुक्त राष्ट्र ने 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष और 1975–85 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दशक घोषित किया था। हमारे देश में प्रतिवर्ष मार्च आठ महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सब वार्षिक और स्मारक दिवस इसलिए मनाए जाते है ताकि महिलाओं की उत्पेक्षाओं पर सरकारों और समाज का ध्यान आकर्षिक किया जा सके और उनके उन अधिकारों तथा अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक प्रयास किए जा सकें। वे अधिकार है। समानता का मूलभूत अधिकार पोषक आहार का समान अधिकार स्वास्थ्य शिक्षा और अवसरों का अधिकार। ये सब जीने के अधिकार से शुरू होते है। महिलाओं और समुदाय के सर्वतोमुखी विकास के लिउ ये सब तत्व आवश्यक है। केन्द्र और प्रान्तीय सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों ने महिलाओं की सामाजिक ओर आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम आरम्भ किए थे और महिला दशक में उनकी सातत्यता को बनाए रखने के लिए उनकी प्रगति और प्रसार के प्रयासों को तेज किया। बहुत सी प्रदेश सरकारों ने आरम्भिक बाल सेवाओं के समेकित प्रदान की भूमिका को पहचानते हुए अपने प्रदेशों में केन्द्र द्वारा समर्थित समेकित शिशु विकास सेवाओं को उनके क्रियान्वयन के लिए लिया।[1]

इनका प्रभाव शिशुओं और माताओं इन सबसे जीवन पर पड़ा है जिसका प्रमाण जन्म के समय शिशु का भार बढ़ना अपोषक आहार की घटनाओं में कमी टीकाकरण में वृद्धि होना शिशु मृत्यु दर का घटना तथा जन्म और मृत्यु दरों में घटाव होना है।[2]

बीस सूत्री कार्यक्रमों को आरम्भ किया गया जिनमें महिला विकास पर विशेष बल दिया और गर्भवती महिलाओं तथा प्रसूता महिलाओं विशेषतया जनवासी पर्वतीय और पिछड़े इलाकों की महिलाओं के कल्याण और पोषक आहार पर विशेष कार्ययोजनाएं बनीं।[3]

महिला और शिशु विकास निगमों की स्थापना–केन्द्र तथा सरकारों द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के माध्यम से स्वैच्छिक संस्थाओं के द्वारा अनेक महिला आवास गृहों का निमार्ण। कामकाजी महिलाओं के

आवासगृहों के साथ साथ शिशुगृहों का प्रावधान। कामकाजी महिलाओं को अनेक प्रकार की सुविधाएँ देना जैसे सरकारी सेनाओं में प्रवेश के लिए आयु सीमा बढ़ाना तथा विशेष अवकाश लाभ आदि।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दशक से पूर्व महिलाओं के सुधार के लिए कई संगठन थे जैसे केन्द्रीय सेवा कल्याण मण्डल प्रादेशिक समाज कल्याण परामर्श, मण्डल महिला कल्याणार्थ भारतीय परिषद अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, भारतीय ग्रामीण महिला रैडक्रास भाररतीय सामाजिक स्वास्थ्य संघ तथा स्वैच्छिक संगठन। फिर भी इस महिला दशक में इन सभी संघो में अपने को और दृढ़ किया तथा महिला कल्याण के लिए अनेक नए कार्यक्रम तैयार किए । सादा तथा बहुसंख्यक शादियॉ करवाना परिवारों के ऐसे झगड़े निपटाना जिसका मूल दहे और ज्यादा मॉग से है वैवाहित समस्याएं ये सब स्वैच्छित कल्याण संस्थाओं का ध्यान आकर्षित करती है।समाज में सामाजिक दुर्घटनाओं और असमानतों के कारण महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा की ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। नशाखोरी और अल्कोहलवाद की बढ़ती हुई समस्याओं का कुप्रभाव महिलाओं पर भी पड़ा है। नशाखोर पति के असामयिक निधन पर पत्नी को अपने पैरो पर खड़ा होकर परिवारिक आपदा से परिवार को निकालने के लिए प्रयास करा पड़ता है।दहेज से होने वाली मौते दुल्हन , सामाजिक अनौचित्य इत्यादि ने ?स्वैच्छित सामाजिक संस्थाओं को इन कुरीतियों को अच्छी तरह दूर करने और सामाजिक जागृति पैदा करने के लिए और अधिक उत्साह तथा उमंग से कार्यशील बनाने के लिए प्रेरित किया है। सामाजिक जागृति के साथ साथ सामाजिक मूल्यों को उन्नत करने और सामाजिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए भी इन संस्थाओं ने कार्य करने का काम किया है। ताकि महिलाएं पूर्ण सामाजिक सन्तुलन में रह सकें।प्रान्तीय सरकार ने पीड़ित महिलाओं तथा नैतिक खतरे के भय से युक्त महिलाओं के लिए सुरक्षा गृह स्थापित किए थे। टूटे घरों के कारण और समाज के अत्यधिक व्यक्तिनिष्ठा होने के कारण अविवाहित माताओं यतीमों और भावनात्मक रूप से उखडी महिलाओं की समस्या आज बहुत ही गम्भीर है। इस सन्दर्भ में आधुनिक ढंग से सामाजिक कल्याण सेवाओं को संगठित और दृढ करना जिससे पुनर्वास आदि की अपेक्षा भी सम्मिलित है, अत्यनत आवश्यक है ऐसी अनुभूति और भी तीव्र होनें लगी है। ये सामाजिक दायितव अब सरकार का ध्यान आकर्षित करने लगे है और नई सामाजिक चेतावनियों के प्रकाश में ही नीतियों और कार्यक्रमों का पुनरीक्षण और सुधार होता है।महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान कानूनों को बदलने या सशक्त करने की दृष्टि सरकार को चाहिए कि वह अनेक विधायकों की ओर उचित ध्यान दे।[4]

समान श्रम अधिनियम– 1976 में पारित हुआ था जिसके अनुसार (क) पुरूष और महिला श्रमिकों का एक समान सृमभत्ता मिले और (ख) रोजगार तथा दूसरे सम्बन्धित विषयों में लिंग के आधार पर पुरूषों और महिलाओं में भेदभाव को रोका जाए। हिन्दू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम 1955 को 1976 के विवाह कानून संशोधन अधिनियम के द्वारा संशोधित किया गया जिसके अनुसार लड़की को यह

अधिकार प्राप्त है कि वह परिपक्व अवस्था को प्राप्त न होने की स्थिति में अपने विवाह को न होने देने के लिए अपना विरोध प्रकट करे चाहे विवाह तय हुआ हो या नही। बालिका विवाह विरोधी संशोधन अधिनियम 1978 लड़कियों के विवाह की आयु 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष की करता है। और लड़कों के विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करता है। कारखाना संशोधन अधिनियम ˙ यह प्रावधान करता है कि जिस कारखनों में 30 महिलाएं काम करती हो वहॉ एक शिशु गृह होना चाहिए। पहले 50 महिलाओं पर एक शिशुगृह था अप्रैल 1976 में का संशोधन हुआ।[5] यह उन महिलाओं के लिए था जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की परिधि मे नही आती। ये वैधानिक पग महिलाओं के प्रति सामाजिक असमानताओं और सामाजिक कलंको को दूर करने में चिर सहायक होगे ऐसी आशा है।[6]

केन्द्रीय स्तर पर –महिला और शिशु विकास को यह उत्तरदायित्व दिया गया है कि वह महिलाओ के कल्याण और विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित तथा समन्वित करे। यह केन्द्रीय और प्रान्तीय स्तरों पर महिला विकास और कल्याण कार्यक्रमों में विभिन्न मन्त्रालयों। विभिगों को सक्रिय करता है। महिलाओं के विकास के क्षेत्र में यह स्वैच्छिक प्रयासों को बढ़ावा देने मे लगे हुए तरीकों को गतिशीलता प्रदान करता है। यह विभाग अपनी भूमिका निभाने के साथ महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए निम्नलिखित योजनाओं को भी क्रियान्वित करता है। [7]

कामकाजी महिलाओं के लिए आवासगृह –देश की आर्थिक संरचना में प्रगतिशील में परिवर्तन के साथ अधिक से अधिक महिलाएं अपने घरों से बाहर नौकरी की तलाश में निकलती है, उन्हें जो अनेक कठिनाइयॉ आती है उनमें एक यह है कि उन्हे एक स्वस्थ और अनुकूल वातावरण में अपेक्षित आवास सुविधा प्राप्त नहीं होती। इस तरह की इन महिलाओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए 1972 में कामकाजी महिलाओ के लिए आवासगृहों के निर्माण के लिए सहायता की केन्द्रीय योजना शुरू हुई।[8] योजना का क्षेत्र 1982 में बढ़ा दिया गया ओर उसमें शिशुओं के लिए दिन में देखरेख के लिए प्रावधान शामिल किया गया। स्वैच्छिक संगठनों को भूमि मूल्य का 50/ और निर्माण कार्य का 75 वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाता है। होस्टल शुरू करने के लिए भूमि के खरीदने के लिए इसी ढंग से सहायता दी जाती हैं स्वैच्छिक संस्थाओं के अतिरिक्त स्थानीय समितियां महिला विकास निगम, विश्वविधालय,स्कूल और कालेज जो समाज कार्य करते है उन्हें भी इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत जो भी संगठन वित्तीय सहायता चाहते है उन्हे एक आवेदन पत्र प्रान्तीय सरकार को भेजना होता है तथा उस आवेदन की एक अग्रिम प्रति महिला और शिशु विकास विभाग को देनी होती है। विभाग 4 किश्तों में पूरी अनुदान राशि का 50 देता है और शेष 50 निर्माण के पूरा होजाने का दस्तावेज दिखाने पर दे देता है। दो हजार रूपये तक मासिक आय पाने वाली महिलाएं इन महिला आवासगृहों में आवास के योग्य है।[9]

केन्द्रीय सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में कामकाजी महिलाओं के 300 अतिरिक्त आवासगृह 30 करोड की लागत से बनाने का प्रावधान किया है। इस समय देश में 27292 कामकाजी महिलाओं के लिए 429 होस्टल है और केन्द्र सुविधाएं 2930 बच्चों के लिए उपलब्ध है।[10]

आवासगृहों और शिशु देखरेख केन्द्रों के लिए 5 लाख की जनसंख्या वाले शहर को चुना गया था जिसका अर्थ हुआ कि इससे केवल बड़े शहरो को ही लाभ हो सकता था। बाद में दो लाख की आबादी वाले शहरो को भी इस योजना के लिए रख लिया गया और बाद में यह निर्णय लिया गया कि वहा भी होस्टल खोला जाए जहा 25 कामकाजी महिलाओं को इस सुविधा की आवश्यकता है। यह निश्चत किया है कि 5 सीटे उन विधवाओं तथा अन्य पीड़ित महिलाओं के लिए रखी जाएं जो होस्टल में आवास के लिए योग्य है। कामकाजी मलिाओं के आवासगृहों के लिए एक परामर्श समिति युवा कार्यो और खेलों तथा महिला और शिशु विकास मन्त्रालय की अध्यक्षता में गठित हुई ताकि कार्यक्रम के संचालन का पुनरीक्षण हो सके और इसके सुधार तथा फैलाव के लिए तरीको पर सरकार को परामर्श दिया जा सके।

रोजगार और आय उत्पादन कार्यक्रम – 1982–83 में शुरू किया गया था ताकि समाज के कमजोर वर्गो से सम्बन्धित महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया जा सके तथा उन्हे पक्के तौर पर रोजगार प्रदान किया जाए। इसका क्रियान्वयन सार्वजनिक क्षेत्र समितियों, निगमों, स्वायत्त संगठनों के माध्यम से किया जाता है। कार्यक्रम के लिए सहायता अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए नार्वे की एजेन्सी से प्राप्त होती है।

सन्दर्भग्रन्थसूची

1. नरेन्द्रमोहन, आज की राजनीतिऔरभ्रष्टाचार (दिल्ली : राजपाल एण्ड सन्स, 1997), पृ0 142।
2. V. Bhawani and V. Jyothi, "Women Politicians and Women Entrepreneurs – Why are they Rare? – An Analysis" Paper presented to Indian Association for Women's studies for the Fifth National Conference at Jadavpur University, Calcutta, p. 1.
3. Alfred D'esouza, Women in Contemporary India (New Delhi :ManoharPrakashan, 1975.)
4. Vidyaben Shah, "Role of Women in Ancient India", in C. K. Jain (ed.) Women Parliamentarians in India (New Delhi :Surjeet Publications, 1993), p. 307.

5. जयशंकरप्रसाद, प्राचीनभारतकासामाजिकइतिहास (नई दिल्ली : हिन्दीमाध्यम क्रियान्वयननिदेशालय, 1992) पृ0 416।
6. ईश्वरीप्रसाद एवं शैलेन्द्र शर्मा, प्राचीनभारतीय संस्कृति–कलाराजनीति, धर्म, दर्शन (इलाहाबाद : मीनूपब्लिकेशन, 1990), पृ0 400।
7. पनधारीनाथप्रभु, हिन्दूसमाज की व्यवस्था (नई दिल्ली : जवाहरपब्लिशर्स 1996), पृ0 335।
8. Ram Saran Sharma, Aspects of Political Ideas and Institutions in Ancient India (Delhi :MotilalBanarasidas, 1968), pp. 78-102.
9. ऋग्वेद, 10–108 (सम्पूर्ण सूक्त)
10. ईश्वरीप्रसाद एवं शैलेन्द्र शर्मा, पूर्व उद्धरित, पृ0 403।